شری شاہد صدیقی: سر، میں منتری جی سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اسرائیل سے پچھلے پانچ سالوں میں ہماری جو ڈیفنس کی پروکیورمینٹ ہے، اس کا ایمپورٹ کتنے فیصد بڑھا ہے؟ کیا اسرائیل سے ڈفینس اکوپمینٹ کا لانا اور اس کے اوپر ہماری نربھرتا کو بڑھانا بھارت کے راشٹریہ ہت میں ہے؟ اس کے ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے نربھرتا کو بڑھانے کی کیا وجوہات ہیں اور ان کے اوپر ہماری نربھرتا کتنی بڑھی ہے؟

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, so far as the specific question as to what is the percentage of imports from Israel is concerned, I require a separate notice. In respect of dependence on Israel, I can assure the hon. Members that we are not depending on any country. We are trying to depend on ourselves by augmenting our indigenous exercise and the whole thrust of the question is how to speed up our indigenous exercises.

Corruption in Swajaldhara Yojana

*64. SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Swajaldhara Yojana is not proving beneficial due to rampant corruption;

(b) if so, Government's reaction thereto;

(c) the usual time taken in sanctioning the scheme;

(d) the details of areas in Andhra pradesh where the said scheme has been implemented; and

(e) the details of progress made during the current financial year?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) to (e) A statement is laid laid on the Table of the House.

(a) and (b) No, Sir. No sepcific complaint of corruption in the implementation of Swajaldhara has been received in the Department of Drinking Water Supply, Ministry of Rural Development . Rural drinking water is a State subejct and the State Governments are primarily responsible for ensuring proper implementation of the Swajaldhara Scheme. Vigilance and Monitoring Committees at the district level already exist to ensure proper utilization of funds. The District Vigilance & Monitoring Committees

†[]Transliteration of Urdu Script.

are headed by the Member of Parliament elected from the District with MPs, MLAs of the district and representatives of the Panchayati Raj Institutions as members. This Committee is required to meet atleast once in three months.

(c) Upto 20% of the annual Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP) funds may be allocated for Swajaldhara Scheme. These funds are allocated to the States every year as per the inter-State ARWSP allocation ratio fixed for the year. The States then make district-wise allocations and inform the Department of Drinking Water Supply, which releases the installments accordingly. Specific proposals are received from Gram Panchayats and approved at District Water and Sanitation Committee (DWSC)/State Water and Sanitation Mission (SWSM) level in conformity with Swajaldhara Guidelines.

(d) The districts in Andhra Pradesh where Swajaldhara Scheme has been implemented since 2002-03 are Adilabad, Anantpur, Chittoor, Cudapah, East Godavari, Guntur, Karimnagar, Khammam, Krishna, Kurnool, Medak, Mehboobnagar, Nalgonda, Nellore, Nizamabad, Prakasam, Rangareddy, Srikakulam, Visakhapatnam, Vizianagram, Warangal and West Godawari.

(e) During the current year, so far, a sum of Rs. 2280.18 lakh has been released to Andhra Pradash for taking up 503 new projects for 2005-06 under Swajaldhara. Also, Rs. 329.42 lakhs has been released in 2005-06 till date as balance installments for schemes taken up under Swajaladhara from 2002-03 to 2004-05. As per information received from the State Government, a total of 2685 scheems were taken up from 2002-03 to 2004-05 and 2122 have been completed, of which 725 have been completed in 2005-06 till January.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, the intensity of the drinking water problem, especilly in upland areas where the rainfall is very low, is very high and the magnitude is on a very high scale. Sir, in Andhra Pradesh, around 39,000 habitations have to be provided with the safe drinking water. The Government of Andhra Pradesh has prepared a project report with Rs. 5070 crores. The Government of Andhra Pradesh, naturally, is facing constraint of funds. Of course,—I do not know how-on the one hand, the Prime Minister is saying the State Governments are surplus with funds, but,on the other hand, as far as Andhra Pradesh is concerned, there is

high shortage of funds. So, to solve this chronic problem, they have submitted a project report to the Government of India, so that the Government of Andhra Pradesh can borrow from the institutions, where the Government of India can help the State Government by giving guarantees. Is the Government of India in a position to give guarantee to solve this problem? This is my first supplementary.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: उपसभापति महोदय, पीने के पानी का सवाल बुनियादी चीज है, इसमें सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोताही करना न तो उचित है और न ही इसमें कोताही की जाएगी।

जहां तक आन्ध्र प्रदेश का सवाल है, वहां पर दो प्रकार का संकट है। एक तो जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर सूखा ग्रस्त एरिया है, जहां पर पीने के पानी का संकट है, अर्थात् एवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर की समस्या है। दूसरी समस्या है - क्वालिटी ऑफ वॉटर। वहां पर गांवों के अन्दर पीने के पानी में फ्लोराइड की प्रॉब्लम है, नलगोंडा आदि इलाकों में फ्लोराइड की समस्या है।

महोदय, ये सभी समस्याएं केन्द्र सरकार के ध्यान में हैं और इसीलिए भारत निर्माण की जो महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें एक हिस्सा पीने के लिए शुद्ध पानी का है। जहां पर इसके लिए पहले 2900 करोड़ रुपये का बजट प्रोवीजन था वहीं इस वर्ष 4050 करोड़ रुपये का बजट प्रोवीजन है और हम आने वाले चार वर्षों में उस पद 26000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। इस प्रकार चार वर्षों के अन्दर देश में एवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर, सस्टेनेबिलिटी ऑफ वॉटर और क्वालिटी ऑफ वॉटर की समस्या नहीं रहने दी जाएगी।

जहां तक आन्ध्र प्रदेश का सवाल है, केन्द्र सरकार पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है कि आन्ध्र प्रदेश में पीने के पानी की समस्या एवं गुणवत्ता का हल निकल सके।

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, I really apreciate the hon. Minister's spirit in giving a reply. I am already feeling as if the water is flowing in!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You should feel ...(*Interruptions*)...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, I don't question the integrity of the hon. Minister; he is working very hard. The only thing is that the Rs. 150 crores that you are allocating to the State of Andhra Pradesh is not at all sufficient to solve the drinking water problem. Out of that, you are giving 20 per cent under the *Swajaldhara* Scheme.

I would like to know whether there is any provision to increase the allocation, so that these 32,000 habitations can be provided safe drinking

water as early as possible. The hon. Minister is right; he has recently visited Andhra Pradesh and he knows the problems of areas like Nalgonda, where brackish water is causing a lot of trouble. So, my request is for provision of funds so that the problem could be solved earlier.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: उपसभापति महोदय, पीने के पानी की जो योजना है, उसके अन्दर एआरडब्लूएस की योजना और स्वजलधारा की योजना, यह दो तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। हर एक राज्य को हम उसके फॉर्मूला के आधार पर राशि आबंटित करते हैं। उसमें राज्य सरकारें भी अपनी लागत को लगाकर पीने के पानी की समस्या का समाधान करती हैं। बारहवें फाइनांस कमिश्न ने भी आन्ध्र प्रदेश की जल की समस्या के लिए 350 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। इसके पश्चात् भी यदि कोई राज्य अलग से अपनी कोई योजना बनाकर इंटरनेशनल फंडिग अथवा वर्ल्ड बैंक इत्यादि से किसी प्रकार की कोई सहायता चाहे तो केन्द्र सरकार इस बात के लिए तत्पर है कि उनकी पीने के पानी की समस्या का समाधान हो। अपनी तरफ से हम उनकी पूरी सहायता करने के लिए तैयार हैं।

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, when the *Swajaldhara* Scheme was launched, it was a Governemnt of India programme. Subsequently, it was transferred to the States. They have, in turn, transferred it to the people. In the original scheme, people were asked to contribute ten per cent as their share. Many proposals have come from Andhra Pradesh.

I would like to know from the hon. Minister as to what is the number of schemes proposed to the Government of India and the amount of money deposited. What has happened to that money? What exactly is the status now in Andhra Pradesh?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: उपसभापति महोदय, पीने के पानी के लिए एक योजना है— स्वजलधारा। इस योजना से लाभ उठाने में, दस प्रतिशत हिस्सा उसी गांव के लोगों को देना होता है और नब्बे प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार का होता है। इसमें भावना यह है कि दस कदम जनता चले और नब्बे कदम केन्द्र सरकार चले और इसी प्रकार से इस समस्या का समाधान हो।

महोदय, इस स्वजलधारा योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश के लिए अभी तक कुल 3128 योजनाओं की स्वीकृति हुई है, जिसमें 2122 योजनाओं को कार्यान्वित किया जा चुका है और लगभग 1000 योजनाओं पर अभी भी कार्य चल रहा है। अभी तक इसमें इनका कुल हिस्सा 142 करोड़ था, जिसमें से 131 करोड़ रुपया रिलीज हो चुका है। इस वर्ष भी 22.8 करोड़ रुपये रिलीज किए जा चुके हैं और अभी हम 12 करोड़ रुपये और रिलीज करने जा रहे हैं। उनकी ओर से लगभग

82 करोड़ रुपये का प्रस्ताव आया है, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी सहायता की जाए और किस प्रकार से उन्हें इस रकम पर स्वीकृति दी जाए।

श्री मूल चन्द मीणा: उपसभापति महोदय, स्वजलधारा स्कीम के तहत कई गांवों ने इस स्कीम के लिए अपनी हिस्सा राशि को जमा करवा दिया है। लेकिन वे योजनाएं, वे स्कीमें सैंक्शन नहीं हुईं। क्या केन्द्र सरकार ने कोई ऐसी नीति बनाई है कि कितने दिनों में स्कीमों को सैंक्शन कर दिया जाएगा और उसकी वित्तीय सैंक्शन कितने दिनों में निकाल दी जाएगी जिससे वहां काम स्टार्ट हो सके? मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि राजस्थान के ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: उनको जानकारी है, आप केवल क्वेश्चन पूछिए, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं अगर आप जवाब चाहते हैं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, स्वजलधारा योजना में सभी राज्यों का हिस्सा-आबंटन तय है कि किस राज्य को कितना मिला है, 20 परसेंट ए॰आर॰डब्लू॰एस॰ योजना का हम स्वजलधारा में मंजूर करते हैं लेकिन सरकार का यह दृढ़ निश्चय है कि जिस किसी राज्य में जनता की तरफ से कंट्रीब्यूशन जमा हो गया उसका तुरन्त कार्यान्वयन होना चाहिए और उसको पूरा किया जाना चाहिए।

श्री मूल चन्द मीणा: समय-सीमा क्या है उसकी?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या तुरन्त की कोई समय-सीमा होती है, तुरन्त मायने तुरन्त। यह तो पानी पीने की स्कीम है, इसमें तो एक दिन भी देर नहीं होनी चाहिए। लेकिन राज्य सरकारों का काम है महोदय, हम उनका हिस्सा अगले साल से तुरन्त उनके यहां भेज देंगे जिसमें कोई विलम्ब न हो। केन्द्र सरकार की तरफ से विलम्ब होने का कोई कारण ही नहीं है।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: धन्यवाद उपसभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में यह कहा है कि स्वजलधारा योजना में 10 प्रतिशत जनता देगी तब केन्द्र सरकार उसको 90 परसेंट सहायता देती है। मैं जानना चाहता हूं कि पहाड़ी क्षेत्र और बनवासी क्षेत्र जहां पर 10 प्रतिशत देने की स्थिति नहीं होती, क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों में सौ प्रतिशत सहायता स्वजलधारा योजना के लिए देगी?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, दो प्रकार की योजनाएं हैं, एक है ए॰आर॰डब्लू॰एस॰ एक्सलेरेटेड रूरल वाटर सप्लाई स्कीम, तो उसमें तो सौ फीसदी दी जाती है, इसमें 80 फीसदी राशि जो है वह मुफ्त में जनता की पानी की समस्या को हल करने के लिए है। यह अतिरिक्त स्कीम है स्वजलधारा, कि जहां जनता में रुचि हो और उनका अपनापन और उनका योजना से ज्यादा लगाव हो, अपनापन

का बोध हो इसलिए यह एक प्रयोग बतौर शुरू हुआ है। इसलिए जहां कहीं जनता एक भी पैसा देने की स्थिति में नहीं है तो वहां ए॰आर॰डब्लू॰एस॰ की स्कीम से पूरा किया जाए। जहां देने की स्थिति में हैं वहां स्वजलधारा स्कीम को प्रोत्साहित किया जाए।

श्री तारिक अनवर: मुझे भी यही प्रश्न करना था कि जो शैडयूल्ड कॉस्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स. ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: इसका जवाब आ गया है। श्री मनोज भट्टाचार्य, Put a short question if you want reply because only one minute is left.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Thank you, Sir. With regard to water, there are multiple authorities under the States and the Centre, यह पंचायती है। तो क्या इस तरह की सोच रहे हैं कि एक nodal Ministry हो ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप सवाल कीजिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सर, पानी पीने की समस्या के लिए रूरल डवलपमेंट मिनिस्ट्री में स्कीम है और पंचायती राज की मार्फत पूरा अधिकार पंचायती राज को और उनका इंवोल्वमेंट दिया गया है कि स्थानीय समस्याओं का समाधान करें और फाइनेंस कमीशन का जो पैसा जा रहा है लगभग ढाई से तीन लाख की राशि प्रत्येक पंचायत में जा रही है जिससे वहां के पीने की पानी की समस्या और मेंटीनेंस का समाधान हो सके।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Next question.

डा॰ अलादी पी॰ राजकुमार: सर, आंध्र प्रदेश का भी है।

श्री उपसभापति: मैं आंध्र प्रदेश वालों को ही दे रहा हूं।

डा॰ अलादी पी॰ राजकुमार: सर, हमारे साथ क्यों बुरा कर रहे हैं।

श्री उपसभापति: कुछ बुरा नहीं कर रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

डा॰ अलादी पी॰ राजकुमार: सर, क्वेश्चन उठते ही मैंने आपको पहले पूछा। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: ऐसा नहीं है, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

डा॰ अलादी पी॰ राजकुमार: यह गलत है, सर। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: क्वेश्चन ऑवर में ऐसा नहीं हो सकता। ...(**व्यवधान**)... आप जरा बैठिए, ठीक है। ...(**व्यवधान**)... ऐसा नहीं बोल सकते आप। ...(**व्यवधान**)... अब मैं आपके साथ

आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता, आप रूल्स जानते हैं, रूल्स जानकर बात कीजिए। ...(व्यवधान)... आप आर्ग्यूमेंट नहीं कीजिए चेयर के साथ, रूल्स जानकर बात कीजिए।

Target under Rural Employment Generation Programme

*65. SHRIMATI N.P. DURGA: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the targets set under Rural Employment Generation Programme for 2002-2003, 2003-04, 2004-05 and 2005-06 have not been achieved;

(b) if not, the details of target set for the above years under REGP and the percentage of achievement;

(c) whether Government are thinking of achieving 25 lakh additional employment opportunities inspite of not being able to achieve the yearly target and there being only one year left in the Tenth Five Year Plan; and

(d) the details of employment opportunities provided in the State of Andhra Pradesh under REGP so far, year-wise?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

(a) to (d) There is no Scheme called Rural Employment Generation Programme in the Ministry of Rural Development. However, the Ministry of Agro and Rural Industries implements a Scheme namely Rural Employment Generation Programme. The Ministry of Rural Development implements three major employment Schemes namely Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana for self-employment, Sampoorna Grameen Rozgar Yojana (SGRY) and National Food For Works Programme (NFFWP) for wage-employment in rural areas of the country. Under the SGSY programme, no physical targets were being fixed upto 2004-05. However, during 2005-06, physical targets have been fixed. During the current financial year the target is to assist 8.59 lakh Swarozgaris under the SGSY. The SGRY is a self targeting programme which aims at providing wage employment through creation of need based infrastructure in the rural areas of the country. Since, it is a self-targeting wage employment programme, no physical targets are fixed and the physical performance is monitored in terms of mandays generated.